मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15 /03/2023

कमांकःएफ :1/1/4/0015/2022/10-1: विभाग के आदेश कमांक 2049/764321/2022/10-1, दिनांक 04.10.2022 द्वारा श्री युसुफ खान, वनपाल, सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़ को प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरित कर, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट में पदस्थ किया गया था।

2/ उक्त आदेश के विरुद्ध श्री युसुफ खान, वनपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका कमांक 24822/2022 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.11.2022 को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गयेः-

In view of the submissions made by learned counsel for the parties and the medical documents annexed to this petition, it is apparent that the wife of the petitioner is under treatment at Gwalior for a serious disease like cancer. The petitioner has filed a representation in this regard before the respondent No.3/authority concerned asking for cancellation of his transfer order. Normally, the Court does not interfere with the transfer order; however looking to the medical documents on record and the fact that the petitioner's wife is suffering from cancer and is under treatment at Gwalior, I find it is a fit case for making interference with the transfer order of the petitioner.

Under the circumstances, this petition is allowed. The impugned transfer order dated 04.10.2022 , so far as it relates to the present petitioner, is hereby quashed and set aside.

3/ श्री युसुफ खान, वनपाल व्दारा दिनांक 28.10.2022 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गयाः-

1. मेरी पत्नी कैंसर से ग्रसित है जिनके इलाज एवं रुटीन चैकअप हेतु ग्वालियर जाना पड़ता है।
2. कैंसर से ग्रसित होने के कारण एक सर्जरी हो चुकी है तथा दूसरी सर्जरी भी होना है। आगे आने वाले दिनों में डॉक्टर द्वारा सर्जरी निर्धारित की गयी।
3. मेरी पत्नि की देखभाल करने हेतु कोई अन्य व्यक्ति नहीं है।
4. यह कि पदस्थापना स्थल से दक्षिण बालाघाट वनमण्डल 600-700 किलोमीटर री दूरी पर है।

निरन्तर........2

Order 2023H.S.Ahirwar

6/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.11.2022 के परिपालन में श्री युसुफ खान, वनपाल व्दारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 28.10.2022 में उल्लेखित बिन्दुओं को दृष्टिगत राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश कमांक 2049/764321/2022/10-1, दिनांक 04.10.2022 द्वारा श्री युसुफ खान, वनपाल, सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़ को प्रशासकीय दृष्टि से स्थानांतरित कर, दक्षिण सामान्य वनमण्डल बालाघाट में की गई पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते श्री युसुफ खान, वनपाल को सामान्य वनमण्डल ग्वालियर में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14.3.23

(मोहित बुंदस)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 कमांक 1/1/4/0015/2022/10-1, भोपाल दिनांक 15/03/2023

प्रतिलिपिः-

(1) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।

(2) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।

(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।

(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।

(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी...

(7) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।

(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।

(9) संबंधित ....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।

(10) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

प्रा.क्र.4

मध्य प्रदेश शासन
वन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 15 /03/2023

क्रमांकःएफ :1/1/4/0019/2022/10-1: विभाग के आदेश क्रमांक 2075/226/2022/10-1, दिनांक 05.10.2022 द्वारा श्री खुशाल सिंह बघेल, परिक्षेत्र अधिकारी, बनापुरा, सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम को स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी, सारणी, सामान्य वनमण्डल उत्तर बैतूल पद पर परस्थ किया गया था।

2/ उक्त आदेश के विरूद्ध श्री खुशाल सिंह बघेल, वनक्षेत्रपाल द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक 23361/2022 दायर की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2022 को निर्णय पारित कर निम्न निर्देश दिये गयेः-

Considering the same writ petition filed by petitioner directing respondents to consider the representation of petitioner against transfer order dated 05-10-2022 within a period of 30 days from the date certified copy of the order passed today.

Impugned transfer order dated 05-10-2022 in respect of petitioner is stayed for a period of 30 day and petitioner is permitted to continue at present place of posting till then.

3/ मान. उच्च न्यायालय ने पारित निर्णय में याचिकाकर्ता व्दारा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर उसका निराकरण करने तक याचिकाकर्ता को वर्तमान पदस्थापना पर यथावत बने रहने हेतु निर्देशित किया है।

4/ श्री खुशाल सिंह बघेल, वनक्षेत्रपाल व्दारा दिनांक 09.11.2022 को प्रस्तुत अभ्यावेदन में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख कर स्थानांतरण निरस्त करने का अनुरोध किया गयाः-

1. यह कि शासन वन विभाग के आदेश दिनांक 05.10.22 द्वारा वन परिक्षेत्र बनापुरा से स्थानांतरित कर वन परिक्षेत्र सारणी में पदस्थ किया गया है जबकि उनकी पदस्थापना को लगभग 2 वर्ष ही पूर्ण हुए है ।
2. यह कि उनके पुत्र एवं पुत्री वर्तमान में अध्ययनरत है। वे स्वयं वर्ष 2021 में कोरोना से संक्रमित हुए थे। तथा वर्तमान में दिनांक 17.10.22 को हार्ट अटैक की समस्या होने पर बंसल अस्पताल में चेकअप कराने पर चिकित्सक द्वारा उन्हें आपरेशन की सलाह दी गयी है ।

निरन्तर........2

5/ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.10.2022 के परिपालन में श्री खुशाल सिंह बघेल, वनक्षेत्रपाल व्दारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 09.11.2022 में उल्लेखित बिन्दुओं को दृष्टिगत राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के आदेश कमांक 2075/226/2022/10-1, दिनांक 05.10.2022 द्वारा श्री खुशाल सिंह बघेल, परिक्षेत्र अधिकारी, बनापुरा, सामान्य वनमण्डल नर्मदापुरम को स्थानांतरित कर परिक्षेत्र अधिकारी, सारणी, सामान्य वनमण्डल उत्तर बैतूल में की गई पदस्थापना में आंशिक संशोधन करते श्री खुशाल सिंह बघेल, वनक्षेत्रपाल को वन विद्यालय बैतूल में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से पदस्थ करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

14 3 23

(मोहित बुंदस)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0 कमांक1/1/4/0016/2022/10-1, भोपाल दिनांक 15 /03/2023

प्रतिलिपिः-

(1) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
(2) विशेष सहायक, मान. वनमंत्री जी मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
(3) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख म0 प्र0, भोपाल।
(4) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।), भोपाल।
(5) अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), सतपुड़ा भवन, भोपाल की ओर बैवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
(6) संबंधित मुख्य वन संरक्षक/वनमण्लाधिकारी...
(7) स्टाफ ऑफीसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वन विभाग।
(8) संयुक्त संचालक, जनसंपर्क, म.प्र. मंत्रालय भोपाल।
(9) संबंधित ....द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन-।।) भोपाल।
(10) गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग